राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511285, 2511287, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

क्रमांक/NHM/HR/2021/NS-1013/2704 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17/12/2021

// काउंसिलिंग हेतु सूचना एवं दिशा–निर्देश //
(Coomunity Health Officer)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पद पर पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग का आयोजन निम्नांकित तिथियों में **राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर** में किया जायेगा। उक्त काउंसिलिंग संभागवार, वर्गवार मेरिट क्रम अनुसार आयोजित की जा रही है।

क्र.	संभाग का नाम	काउंसिलिंग तिथि	काउंसिलिंग समय	काउंसिलिंग स्थान
01	रायपुर	21.12.2021	प्रातः 10:00 बजे से	राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यावसायिक परिसर (Commercial Complex) सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन 492015
02	सरगुजा	22.12.2021	प्रातः 10:00 बजे से	
03	दुर्ग	23.12.2021	प्रातः 10:00 बजे से	
04	बिलासपुर	24.12.2021	प्रातः 10:00 बजे से	
05	बस्तर	27.12.2021	प्रातः 10:00 बजे से	

Google Map Location - https://goo.gl/maps/ojf2XzAWscVzJR4r9

उपरोक्त तालिका अनुसार काउंसिलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिये दिशा–निर्देश निम्नानुसार है। **अभ्यर्थी दिशा–निर्देश का सूक्ष्मता से अवलोकन कर पालन करें।**

01. सर्वप्रथम काउंसिलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों का **पंजीयन प्रातः 11 बजे** तक किया जायेगा। निर्धारित समय के पश्चात् उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु अंतिम में अवसर प्रदान किया जावेगा। पंजीयन रजिस्टर में पंजीयन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम, वर्ग, जन्मतिथि, मोबाईल नंबर, ई–मेल आई.डी., हस्ताक्षर आदि की प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है।

02. अभ्यर्थी के पंजीयन उपरांत उनके निम्नांकित मूल दस्तावेजों का अनिवार्यतः सूक्ष्मतापूर्वक जाँच/परीक्षण किया जायेगा तथा उपरोक्त एक–एक प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा –

    3.1 ऑनलाईन आवेदन फार्म की प्रति।

    3.2 10 वीं, 12 वीं एवं स्नातक (Graduation) के समस्त वर्षों की अंकसूची।

    3.3 B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षाफल का संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी Tabulation Sheet/Net copy/अंकसूची।

3.4 संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के डीन/प्राचार्य के द्वारा जारी B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course प्रथम बैच में उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र (विज्ञापन में संलग्न Appendix-I)।

3.5 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. निवास प्रमाण–पत्र।

3.6 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो तो)

3.7 अभ्यर्थी का दिव्यांगता/भूतपूर्व श्रेणी का प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो तो)

3.8 02 नग पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ (वर्तमान का)।

3.9 पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस या पेन कार्ड आदि।

03. काउंसिलिंग स्थल पर प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दस्तावेज एवं फार्म को सूक्ष्मतापूवर्क जाँच किया जायेगा।

04. अभ्यर्थी काउंसिलिंग में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वे प्रतिनिधि के रूप में अपने संबंधी/रिश्तेदार को काउंसिलंग के लिये नामित कर सकते हैं, इस हेतु लिखित आवेदन विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नामित व्यक्ति को संबंधित अभ्यर्थी का निर्धारित समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति एवं छायाप्रति (01 सेट) के साथ काउंसिलंग में उपस्थित होना होगा।

05. अभ्यर्थी के चयन उपरांत उसे नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा इस हेतु अभ्यर्थी को 45 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा।

06. विज्ञापन के कण्डिका 4.2 अनुसार–संभागवार/वर्गवार अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या से अधिक होने पर ऐसे समस्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों की वर्गवार संयुक्त प्रावीण्य सूची बनाकर अन्य संभाग में उपलब्ध रिक्त पदों हेतु नियमानुसार काउंसिलिंग कर पदस्थापना की जावेगी। उक्त बिन्दु के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की गयी है। अतः अभ्यर्थी संबंधित संभाग के वर्गवार मेरिट सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में अन्य संभाग में अपना नाम देख लेवें।

07. अभ्यर्थियों को संभागवार संयुक्त मेरिटक्रम में पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग के लिये आमंत्रित किया जायेगा।

08. संबंधित संभाग के मेरिट क्रम में अवस्थित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के चयन के लिये उसी संभाग में रिक्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों की सूची विभागीय वेबसाईट में अपलोड की गई है। अभ्यर्थियों को उक्त सूची से ही पदस्थापना स्थल का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी पूर्व से ही तैयारी कर आवें।

09. अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पूर्व ही पदस्थापना हेतु वेबसाईट में अपलोड सूची से अपने जिले के समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेवें ताकि काउंसिलिंग के समय उपलब्धता अनुसार पदस्थापना स्थल का चयन कर सके। काउंसिलिंग के दौरान पदस्थापना स्थल के संबंध में पूछताछ का अवसर नहीं दिया जावेगा।

10. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा पदस्थापना स्थल के चयन में विलंब किया जाता है तो उसे काउंसिलिंग सम्पन्न होने के उपरांत पुनः अवसर दिया जावेगा।

11. उपरोक्त काउंसिलिंग पूर्ण होने के उपरांत सीट रिक्त होने की दशा में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जावेगी। जिसकी सूचना काउंसिलिंग के उपरांत विभागीय वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा।

12. चयनित पदस्थापना स्थल में ही अभ्यर्थी को नियमानुसार नियुक्ति आदेश प्रदान किया जायेगा तथा संबंधित स्थल में ही कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्यभार ग्रहण के उपरांत किसी भी स्थिति में पदस्थापना स्थल को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

13. नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा तथा निर्देशानुसार कार्य संपादित किया जाना होगा।

14. अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार उन्हें पात्र किया गया है। अतः भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा भर्ती के उपरांत भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी असत्य/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/छुपायी गयी है, तो ऐसी दशा में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। इस संबंध में मिशन संचालक का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

15. भर्ती प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है अथवा किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

16. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का 05 वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः संबंधित कर्मचारी पदस्थापना के उपरांत स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन राज्य कार्यालय को प्रेषित न करें अन्यथा कार्यवाही की जावेगी।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

18. काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थी को कोविड–19 के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड–19 से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण दिखायी देने की अवस्था में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जावेगा।

19. पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग के संबंध में जानकारी हेतु अभ्यर्थी कार्यालय के दूरभाष नंबर 07725–2511287 में प्रातः 10:30 बजे से 05:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

संयुक्त संचालक 7/12/2021
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़